राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बरार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बरार

प्रकरण सं. – 76/2010 रे0वा0 निर्णय दिनांक – 08.06.2015

अनवान

1. श्रीमति फुली देवी पत्नि नैनूसिंह रावत निवासी बरार हामेला की वेर तहसील भीम
2. श्री अर्जुनसिंह पिता नैनूसिंह रावत निवासी बरार हामेला की वेर तहसील भीम
3. श्री देवीसिंह पिता शेरसिंह रावत निवासी बरार हामेला की वेर तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री पन्नासिंह पिता लुम्बसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
2. श्री मोहनसिंह पिता मूलसिह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
3. श्री भवरसिंह पिता मूलसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
4. श्री गुलाबसिंह पिता मूलसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
5. श्री पप्पूसिंह पिता मूलसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
6. श्री दल्लासिंह पिता तेजसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
7. श्री पूनमसिंह पिता हजारीसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
8. श्री लक्ष्मणसिंह पिता हजारी सिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
9. श्री भगवानसिंह पिता विरदसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
10. श्री देवीसिंह पिता गेनसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
11. श्री लक्ष्मणसिंह पिता संग्रामसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
12. श्री मोहनसिंह पिता जालमसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
13. श्री तेजसिह पिता गंगासिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
14. श्री लक्ष्मणसिंह पिता प्रतापसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
15. श्री रामसिंह पिता गोदसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
16. श्री पन्नासिह पिता खीमसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम
17. श्री घीसासिंह पिता कानसिंह जाति रावत निवासी बरार खंजुरिया तहसील भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 183 आरटीए

यह कि मौजा हामेला की वेर, पटवार हल्का बरार तहसील भीम में निम्न वाली आराजियात हम वादीगणो के खाते व कब्जे में स्थित होकर हमारी पुश्तेनी जायदाद होने से पहले हमारे पूर्वज व उनके फौत होने पर हम वादीगण काबिज होकर काश्त करते कराते आ रहे है। जो निम्न विवरण वाली आराजियात है:–

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
9730	00	07	10	
9732	00	09	00	
9798	07	01	00	
10719	00	06	00	
10720	00	09	00	
10712	00	11	00	
10714	00	12	00	
10715	00	11	00	
10716	00	15	00	
10717	00	14	00	
10847	00	04	00	
10848	00	04	00	
10850	00	05	00	
10851	00	08	00	
10854	00	19	00	
10856	00	12	00	
753/10849	00	08	00	

Scanned by CamScanner

यह कि उक्त आराजियात पहले शेरा, भूरा व नैना के सयुक्त स्वामित्व में स्थित होकर उनके खाते व कब्जे मे चली आ रही थी तथा भूरा के लाऔलाद फौत हो जाने से व शेरा व नैना के फौत हो जाने से 1/2 हिस्से में शेरा का वारिस में वादी देवीसिंह व 1/2 हिस्से में नैना के हम वारिस फूली व अर्जुन होकर इसी हिस्सेनुसार आराजियात हमारे खाते दर्ज होकर मौके पर हमारे इस अनुपात में बंटवारा होकर हम ही काश्त करते कराते आ रहे है तथा हम वादीगणो का सजरा निम्नानुसार है:—

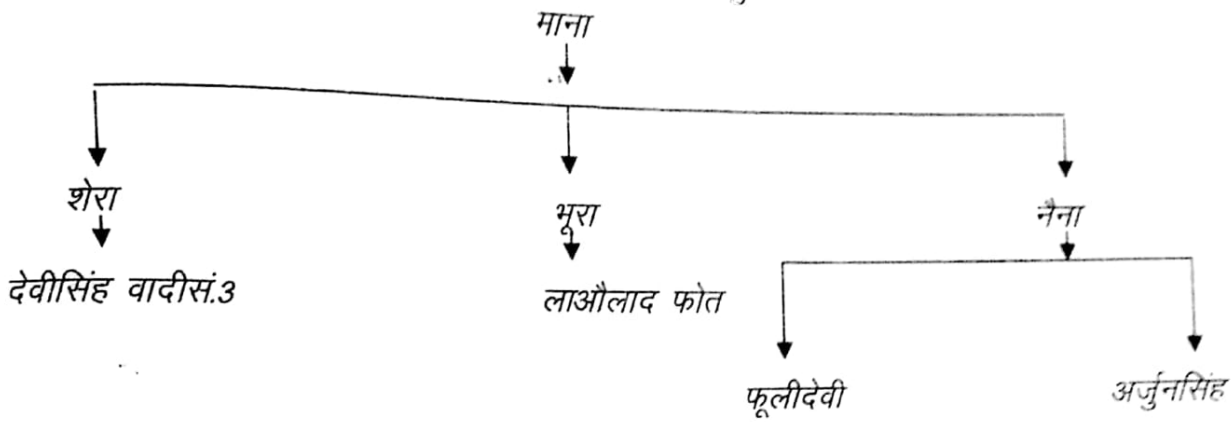

यह कि हमारी उक्त आराजियात से इन प्रतिवादीगणो का कोई लेना देना नही है तथा उक्त आराजी में इतना दूर—दूर तक कोई हक, अधिकार नही है फिर भी उक्त प्रतिवादीगण संख्या में अधिक से अधिक होने व हमारी उक्त आराजी के पडौस में इनकी आराजियात आने से तथा उक्त आराजी हमारे घर से थोडी दूर होने के कारण अनुचित तरीके से वे हमारी उक्त आराजी में हस्तक्षेप कर हमारे उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा उक्त आराजियात का कब्जा छीनने पर उतारू है।

हमारे परिवार में लगातार एक के बाद एक मौते होने से अब हमें कमजोर व अकेला होने का अनुचित लाभ उठा, उनकी रूपयो व लाठी की ताकत के बल पर उक्त आराजियात का कब्जा हथियाना चाहते है। प्रतिवादीगणो को हमारी आराजी में अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रवेश को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा नही रोका गया तो वे किसी भी समय हमे उक्त आराजियात से लाठी के बल पर बैदखल कर कब्जा छीन सकते है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बरार** मे पेश हुआ वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजियात मे प्रतिवादीगणो को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि स्वयं या उनके नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार उक्त आराजियात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे। उक्त आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner